


दिनांक 09-07-2019

आज पत्रावी पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री ओ.पी.कुण्डारा एडवोकेट ने दावे में वकालत नामा प्रस्तुत किया व जबाब प्रस्तुत किया, नकल दी गयी।

इसके पश्चात प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को नोट प्रेस किया। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक को भी कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।

  
उपस्रण्ड अधिकारी  
महला (जिल्ला दौडा)